जाकर पुन: समय की मांग की। समय दिया जावे। प्रत्युत्तर शामिल की जावे। पत्रावली आगामी पेशी तिथि 7/2/23 को पेश हो।

सही

7/2/23 पत्रावली पेश हुई। गैरसायल ने प्रार्थना पत्र पेश कर स्वयं अपने प्रकरण की पैरवी का निवेदन किया एवं समस्त वकालतनामों को निरस्त करने की मांग की। आवेदन शामिल पत्रावली किया जा कर पत्रावली आगामी पेशी तिथि 14/2/23 को पेश हो।

सही

14/2/23 पत्रावली पेश हुई। गैर सायल ने उपस्थित होकर लिखित जवाब को दोहराकर कार्यवाही निरस्त करने की मांग की। समस्त पत्रावली का अवलोकन किया गया। तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सरपंच ग्राम पंचायत काजड़ा द्वारा वादग्रस्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त करा ग्राम पंचायत को आवंटित करने का निवेदन किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा प्राप्त Report के आधार पर गैर सायल अरस को नोटिस जारी किए गए। गैर सायल ने लिखित प्रत्युत्तर में निवेदन किया है कि समस्त गांव काजड़ा निवासी खसरा न. 1 की भूमि में रिहायश कर रहा है, परन्तु कोई साक्ष्य पेश नहीं किए। अतः गैरसायल ने वादग्रस्त भूमि को पहाड़ापा बताते हुए जताया है कि रिहायश हेतु पक्के मकान बनाकर पूर्वजों के समय से आबाद है।

जबकि पटवारी रिपोर्ट अनुसार कब्जे की प्रकृति तार-बाड़ (कच्चा) है अत: दोनों तथ्य विरोधाभासी हैं। गैरसायल द्वारा पेश पट्टा वादग्रस्त भूमि का ही है यह स्पष्ट नहीं होता। पेश दस्तावेज जिसे गैरसायल द्वारा पट्टा कहा जा रहा है केवल छायाप्रति है जो कि न प्रमाणित, न ही सत्यापित न ही पंजीकृत है अत: पट्टे के रूप में स्वीकार्य नहीं है। उक्त दस्तावेज की वैधता संदिग्ध है। पूर्वजों के समय से निवास का कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है।

गैरसायल द्वारा बताया गया है कि नक्शा दुरुस्ती का दावा विचाराधीन है, साक्ष्य स्वरूप पेश दस्तावेज न प्रमाणित है, न सत्यापित न ही आज दिनांक तक कार्यवाही पेश की गई है। केवल माह Sep 22 तक की कार्यवाही की मात्र छायाप्रति संलग्न है। संलग्न दस्तावेज साक्ष्य रूप में स्वीकार्य नहीं किया जा सकता।

गैरसायल द्वारा पेश प्रत्युत्तर में बताया गया है कि वादग्रस्त भूमि का पट्टा लेने हेतु आवेदन किया गया है" जबकि वादग्रस्त भूमि ग्राम पंचायत के खाते में नहीं है अत: ग्राम पंचायत पट्टा जारी करने हेतु अधिकृत नहीं है।

गैरसायल द्वारा पेश समस्त प्रत्युत्तर निराधार है। गैरसायल द्वारा उक्त भूमि ग्राम पंचायत को हस्तांतरित करने का निवेदन किया गया है। राज्य सरकार की मंशा एवं आदेशानुसार भी उक्त भूमि ग्रामपंचायत को हस्तांतरित की जानी है। उक्त प्रकरण में ग्राम पंचायत को पक्षकार बनाए बने अंतिम कार्यवाही करना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता। अत: आदेश है कि वादग्रस्त खसरा न. 375 किस्म गै०मु० आबादी को ग्राम पंचायत को हस्तांतरित करने की कार्यवाही की जावे। ग्राम पंचायत तदनुसार विधिसम्मत कार्यवाही करे। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के मद्देनजर गैरसायल के विरुद्ध कार्यवाही निरस्त की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। [illegible]

Sd/-